



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, रोक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefroiko@gmail.com

पत्र सं० 8वीं/09/42/2017/एफ0सी0/081

दिनांक
7/3/10

सेवा में,
नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

(आर्नेलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ROAD/25152/2017)

विषय: अमरोहा-कांठ मार्ग (MDR-150) किमी० 21.840 से 26.540 तक दांभी पटरी पर उ०प्र० जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 374 वृक्षों के फातन की अनुमति।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० का पत्रांक- 2154/अमरोहा/25152/2017, दिनांक- 12.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 21.07.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अधुरी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ० प्र० के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रेषित करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

1. The reply of queries raised vide this office letter dt. 21-07-2017, in Sr. No. 8 where chainage wise requirement of width and balance PF has not been provided.
2. The proposal involves violation of 0.5 ha. as reported by the concerned DFO. This issue requires submission of self contained note from State Government for initiation of action under 3B of FCA 1980.

मकदीय,
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. विशेष सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा, उ० प्र०।
3. परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी एण्ड डी एस, उ० प्र० जल निगम, मुरादाबाद, उ० प्र०।
4. वैयक्तिक सहायक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश प्रत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 2607 /अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, मार्च 09, 2018

प्रतिलिपि वन संरक्षक, मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख तीन मूल प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के निर्देशानुसार वांछित बिन्दुवार सूचना एवं अभिलेख तीन मूल प्रति में वन संरक्षक, मुरादाबाद को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी० एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम मुरादाबाद को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित सूचना व अभिलेख प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(डा० प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ०प्र०, लखनऊ।